भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2784

06 अगस्त, 2025 के लिए प्रश्न

खाद्यान्न का भंडार

2784. श्री सनातन पांडेयः

श्री कीर्ति आज़ादः

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में खाद्यान्न के मौजूदा भंडार का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त भंडार सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं सहित देश में खाद्यान्न की अनुमानित आंतरिक मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष के दौरान देश में खाद्यान्न की अनुमानित मांग कितनी है;

(घ) क्या सरकार खाद्यान्न के निर्यात पर लगे हुए प्रतिबंध हटाने की योजना बना रही है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में आवश्यक खाद्यान्न की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): दिनांक 30.07.2025 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय पूल में खाद्यान्न का भंडार 346.78 लाख टन गेहूँ और 381.59 लाख टन चावल है, जबकि जुलाई 2025 से सितंबर 2025 तक के लिए खाद्यान्न भंडारण मानदंड 275.80 लाख टन गेहूँ और 135.40 लाख टन चावल है।

(ख) और (ग): खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने वर्ष 2025-2026 के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) के अंतर्गत लाभार्थियों को वितरण हेतु 183.87 लाख टन गेहूँ और 402.78 लाख टन चावल का आबंटन किया है। केंद्रीय पूल में उपलब्ध भंडार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) के अंतर्गत घरेलू आवश्यकताओं और अतिरिक्त आबंटन (प्राकृतिक आपदा, त्यौहार, आदि) को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

...2/-

(घ): सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता देती है और इसलिए केंद्रीय पूल में खाद्यान्नों का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करने के लिए सभी साधन उपलब्ध कराती है।

(ड.): बाजार की कीमतों को नियंत्रित करने और खाद्यान्नों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, भारत सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) की आवश्यकताओं से परे अधिशेष खाद्यान्न (गेहूं और चावल) को खुले बाजार बिक्री योजना [(घरेलू) (ओएमएसएस (डी)] के तहत खुली बिक्री के माध्यम से बेचती है। इससे बाजार में खाद्यान्नों की उपलब्धता बढ़ाने, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और आम जनता के लिए खाद्यान्नों को अधिक किफायती बनाने में मदद मिलती है। इसके अलावा, ओएमएसएस (डी) नीति के तहत आम उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर आटा (गेहूं का आटा) और चावल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से क्रमशः दिनांक 6.11.2023 और 6.02.2024 को भारत आटा और भारत चावल लॉन्च किए गए।

इसके अलावा, समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और जमाखोरी और अनैतिक सट्टेबाजी को रोकने के लिए, भारत सरकार सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में व्यापारियों/थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं और प्रसंस्करणकर्ताओं पर लागू गेहूं से जुड़ी स्टॉक सीमा लगाती है।

*****